



सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03

बुधवार, दिनांक-24 जुलाई, 2024 ई०।

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.28 बजे पूर्वाह्न तक

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण आरक्षण के मुद्दे को लेकर शोरगुल करते हुए बेल में आ गए। आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नोत्तर काल है, आप अपने विषय को अपने स्थान पर जाकर उठायें।

[1] प्रश्नकाल :-

- (i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
- (ii) 05 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
- (iii) 07 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
- (iv) 214 तारांकित प्रश्न अनागत।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि विपक्ष द्वारा उठाये जा रहे मुद्दे पर बिहार सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार को संविधान की नौवी अनुसूची में डालने की अनुशांसा पहले ही कर चुकी है।

इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने विस्तार से सरकार का पक्ष रखा और बताया कि बिहार में जाति गणना का काम बिहार सरकार द्वारा किया गया जिसमें सभी दलों की सहमति ली गयी थी। उसी सर्वे के आधार पर आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक बढ़ाया गया और केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिये जा रहे आरक्षण को मिलाकर कुल 75 प्रतिशत तक आरक्षण की सीमा की गयी। उन्होंने यह भी कहा कि इस आरक्षण को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोका गया है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा अपील की गयी है। यह अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। इस बीच राज्य सरकार ने आरक्षण की इस सीमा को संविधान की नौवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध भी किया है। मात्र यही नहीं राज्य सरकार ने जाति गणना के आधार पर राज्य के परिवारों के अर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली और सभी जाति एवं धर्म के चौरानबे लाख गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया है।

विपक्ष के शोरगुल पर आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाये गये मुद्दे पर विस्तार से अपना पक्ष रख दिया है। जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है उसपर पहले से ही सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने तथा सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02:50 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[2] विधायी कार्य – राजकीय विधेयक :-

i. बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिद्धान्त का प्रस्ताव; माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त, "बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा के अनुपस्थित रहने के कारण विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अख्तरुल ईमान द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त, "बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

iii. बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024

माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिद्धान्त का प्रस्ताव; माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव एवं श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संशोधन का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त, "बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[3] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 71 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

[4] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- i. माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-349(2) के तहत जी.एस.टी.एन. का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
- ii. माननीय प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
- iii. माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 के तहत बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावन कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[5] सभा के समक्ष प्रतिवेदन का रखा जाना :-

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथ कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 342वाँ प्रतिवेदन एवं गृह विभाग से संबंधित 345वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन में उपस्थापित किया गया।

[6] अध्यक्षीय घोषणा:-

माननीय सदस्य, श्री प्रमोद कुमार एवं अन्य के आग्रह पर आसन द्वारा आज के लिए प्राप्त सभी शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया तथा शून्यकाल समिति को सौंपे जाने की घोषणा की गयी। साथ ही माननीय सदस्य, श्री संजीव कुमार एवं अन्य के अनुरोध पर आसन द्वारा दिनांक 23.07.2024 एवं 24.07.2024 के लिए प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया तथा ध्यानाकर्षण समिति को सौंपे जाने की घोषणा की गयी।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-24.07.2024

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।